<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक</u>

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

<u>मिसल नम्बर</u>	<u>तारीख दायरा</u>	<u>तारीख निर्णय</u>
65 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	18.11.2019	24.12.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं. 7 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सरस बूथ बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0

2– मैसर्स सरस बूथ बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 24.12.2020

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2019 को समय 5.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सरस बूथ बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं. 7 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सरस बूथ बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे फ्रीजर मे **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** जिसके बैच नं. व पैकिग की दिनांक अनुपस्थित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर श्री सत्यनारायण साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान के फ्रीजर मे 4.00 लीटर पैक के लगभग 9 पैकेट **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** रखे हुये मे से एक पैक का चयन कर पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील के जग मे 1200 ग्राम वईग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सत्यनारायण साहू को रू0 160/–अक्षरे एक सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** 1200 ग्राम को हिला–मिलाकर पूर्णतया होमोजिनियस कर 4 साफ एंव सूखी कांच की शिशियो मे बराबर–बराबर (प्रत्येक शिशी मे 300–300 ग्राम)भरकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग मे 40 प्रतिशत फारमेलिन की 24–24 बूंदे डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2233 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2233 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. सत्यनारायण साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/1501 दिनांक 24.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1399/एक्ट/2019/941 दिनांक 17.06.2019 अनुसार सत्यनारायण साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा3(1) (zf) (c) (i) अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** का विक्रय कर ... सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1173

Scanned by CamScanner

नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)**स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट (रॉयल पिंकसिटी)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री ताराचन्द साहू जाति तेली निवासी तेलियो का मोहल्ला वार्ड नं. 7 उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स सरस बूथ बस स्टैण्ड उनियारा जिला टोंक राज0पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner